

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF: 181/2023/EZ

Original Application No. 704/2023/PB

In re: News item appearing in News Wing dated 01.12.2023 titled "प्रशासनिक अंकुश के बाद और तेज हुआ बालू के अवैध खनन के खेल"

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit filed on behalf of Deputy Commissioner, Bokaro, Government of Jharkhand.	1-5
2.	Verification	6
3.	Annexure A	7
4.	Annexure B	8
5.	Annexure C	9-10
6.	Annexure D	11-16
7.	Annexure E	17-27

AISHWARYA RAJYASHREE
 Advocate
 Bar Association Room No. 5,
 High Court, Calcutta
 Chamber: 8/1, K.S. Roy Road,
 Kolkata: 700001.
 (M) 9874995669
 Email: advaish.hc@gmail.com

ATTESTED

S. D. K. Mahto
 19/11/2024

S. D. K. Mahto
 NOTARY PUBLIC
 Bokaro (Jharkhand)

Reg No -703/16/1



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF: 181/2023/EZ

Original Application No. 704/2023/PB

In re: News item appearing in Dainik Bharat 24 dated 02.11.2023 titled

"प्रशासनिक अंकुश के बाद और तेज हुआ बालू के अवैध खनन के खेल"



B.D.B.A. No. 28831
SL No. 326
Date 19/4/2024

**COUNTER AFFIDAVIT FILED BY DEPUTY COMMISSIONER, BOKARO,
GOVERNMENT OF JHARKHAND i.e. RESPONDENT NO. 2 HEREIN.**

I, Ravi Kumar Singh, son of Akhilesh Kumar Singh, aged about 31 years, by Religion - Hinduism, by Occupation - Service under the State Government of Jharkhand in the office of District Mining Office, Bokaro, Government of Jharkhand, having its office at camp -II, behind bar association, Bokaro Civil Court, PIN - 827001, Dist. - Bokaro, Jharkhand, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That, I am the District Mining Officer, Bokaro, Government of Jharkhand, and I am aware of the facts and records in the instant case and have gone through the allegations and contentions of the applicant in the Original Application as such I am competent and duly authorized by the Respondent No. 2 herein, to make and affirm the instant Counter Affidavit.
2. That, I am a law-abiding Citizen of India and very much respect the Constitution and Judicial System of India.



3. That in pursuance and in compliance with the order dated 20.02.2024 of this Hon'ble Tribunal in the instant Original Application, this Affidavit is being filed on behalf of Deputy Commissioner, Bokaro, Government of Jharkhand i.e., respondent no. 2 to the Original Application.
4. That, the instant Original Application was taken up Suo Moto by the Hon'ble Tribunal based on the news item which was related to illegal sand mining in the Gomia Anchal of District Bokaro. As per the said news item report, raids were carried out against illegal sand mining by the district administration and tractors were seized during the raid and action was taken against them, following which illegal sand mining in the said area stopped. It has been reported that illegal sand mining has again started and as *per* the locals, the sand mafias are again carrying out illegal sand mining without any fear of the administration.
5. That, it is humbly stated and submitted that as per the news item report, it is evidently clear that action against illegal sand mining in the aforesaid area was already carried out by the District Task Force. However, it has been alleged that even after the said action(s), the illegal sand mining has not been stopped completely.
6. That, it is humbly stated and submitted that the Mines and Geology Department, Government of Jharkhand vide its Sankalp 563/MoCo dated 05/10/2005 has constituted a Task Force at the district level to review, follow up and control the illegal mining activities in the district. A District-level Task Force is constituted and a review meeting of the Task Force is conducted regularly and strict directions have been issued to take action



against any instances of illegal mining, storage and transportation of minerals.

7. That, it is humbly stated and submitted that the Task Force is regularly taking action against the illegal mining, transportation and storage of minerals in the district. The action is taken in terms of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and rules made thereunder, and also under relevant sections of IPC.

The action(s) taken by the Task Force against illegal mining, transportation and storage of mineral sand in the Gomia Anchal is annexed herewith and marked herewith as **Annexure – A**.

8. That, it is humbly stated and submitted that the list of actions taken against the persons involved in illegal mining, transportation and storage of mineral sand in Gomia Anchal has been forwarded to the Regional Officer, Jharkhand State Pollution Control Board, Dhanbad vide office letter number 675/Khanan dated 09/04/2024 to take action against them in terms of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

A copy of the letter number 675/Khanan dated 09/04/2024 is annexed herewith and marked herewith as **Annexure B**.

9. That, it is humbly stated and submitted that the District Survey Report of mineral Sand, in consonance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 (SSMG – 2016) and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining (EMGSM – 2020) has been



prepared by the Sub-divisional Committee of the District and appraised by the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Jharkhand.

10. That, it is humbly stated and submitted that the operation of Sand Ghats in the State of Jharkhand is governed by the Jharkhand State Sand Mining Policy – 2017 under which the sand ghats have been categorized as Category 1 and Category 2. The Category -1 sand ghats can be used only for non-commercial purposes such as domestic purposes, community purposes, Government Sponsered schemes, etc., or as defined in Appendix – IX of Part – II – Section -3- Sub Section – (ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India New Delhi dated 15 January, 2016. The Category -2 Sand Ghats shall be managed by the Jharkhand State Mineral Development Corporation Limited (JSMDC), which will be used for commercial purposes.

A list of 6 Category-1 and 7 Category-2 Sand Ghats for the Bokaro district is annexed herewith and marked herewith as **Annexure- C- series**.

11. That, it is humbly stated and submitted that the order for operationalization of Category -1 sand Ghats has been issued vide memo number 961 dated 16/05/2023 of the Deputy Commissioner, Bokaro of which (02) two sand Ghats are present in Gomia Anchal.

A copy of memo number 961 dated 16/05/2023 is annexed herewith and marked herewith as **Annexure D**.

12. That, it is humbly stated and submitted that the financial bid for the selection of MDO for the Category -2 Sand Ghats of the district has been



completed and necessary steps for obtaining the statutory clearances are being taken for the operationalization of these Ghats.

13. That, it is humbly stated and submitted that to prevent the transportation of illegal minerals in Bokaro district, check posts had been established at the identified routes and Magistrates were deputed to keep a strict vigil vide memo number 1668/Go dated 31/05/2022.

A copy of memo number 1668/M dated 31/05/2022 is annexed herewith and marked herewith as **Annexure E**.

14. That, it is humbly stated and submitted that all necessary steps are being taken to prevent illegal mining, transportation and storage of minerals in the district.

15. That, this Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice. It is therefore prayed that Your Lordship may kindly be pleased to accept the instant counter affidavit.

16. I state that the statements contained in paragraphs Nos. 1 to 2 are true to my knowledge, the statements contained in paragraph Nos. 3 to 14 are true to my information derived from the official records of the case, which I verily believe to be true and the rest is/are my respectful submissions before this Hon'ble Tribunal.



6

B.D.B.A. No. 28831
SL No. 328
Date 19/4/2024

VERIFICATION

I, Ravi Kumar Singh, son of Akhilesh Kumar Singh, aged about 31 years, by Religion - Hinduism, by Occupation - Service under the State Government of Jharkhand in the office of District Mining Office, Bokaro, Government of Jharkhand, having its office at camp -II, behind bar association, Bokaro Civil Court, PIN - 827001, Dist. - Bokaro, Jharkhand, and that I am dealing with the connected records of the case in possession of the office of Deputy Commissioner, Bokaro, Government of Jharkhand.

Date:

Place:

Ravi Kumar Singh

Signature

Identified by me:

Advocate

S. D. S. Mahto
19/4/2024
NOTARY PUBLIC
Bokaro (Jharkhand)
Reg No -703/16J



SRI SMT. *Ravi Kumar Singh*
ON DULY IDENTIFIED BY THE
ADVOCATE SRI/SMT. *H.N. Singh*
SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE
ME.

AFFIDA

S# 0585352 अधिवक्ता
ADVOCATES WELFARE FUND STAMP

S# 0585349 अधिवक्ता कल्याण कोष
ADVOCATES WELFARE FUND STAMP

₹ 15
पंद्रह रुपए
RUPEES FIFTEEN

Issued By: 10/2015
Issued On: 2024-03-01
03:58:35

Sl. No. **28831**

B.D.B.A. No.

SL No.

Date.



S.O. Mahto
19/4/2024
S. O. Mahto
NOTARY PUBLIC
Bokaro (Jharkhand)
Regn No -703/16.1



(7)

जिला खनन कार्यालय, बोकारो।

गोमिया अंचल अन्तर्गत अवैध बालू के बावत की गई कार्रवाई की विवरणी।

खनिज	मात्रा	वाहन	FIR	वसूली	अभ्युक्ति
बालू	100 घनफीट	01	1	00	अंचल अधिकारी, गोमिया ने अपने पत्रांक 677/रा0, दिनांक 27/07/2022 द्वारा सूचित किया है कि 100 घनफीट बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
	70 घनफीट	01	0	10,000	अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 1010, दिनांक 09/10/2022 के आलोक में 70 घनफीट बालू लदे ट्रैक्टर से 10,000/- रू0 की वसूली की गई।
	100 घनफीट	01	1	00	अंचल अधिकारी, गोमिया ने अपने पत्रांक 129/रा0, दिनांक 03/02/2023 द्वारा सूचित किया है कि 100 घनफीट बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
	100 घनफीट	01	1	00	अंचल अधिकारी, गोमिया ने अपने पत्रांक 557/रा0, दिनांक 26/04/2023 द्वारा सूचित किया है कि 100 घनफीट बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर आई0ई0एल0 गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
	100 घनफीट	01	01	00	अंचल अधिकारी, गोमिया का ज्ञापांक 277, दिनांक 20/02/23
	70 घनफीट	01	01	00	अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 427/रा0, दिनांक 25/05/2023 द्वारा सूचित किया गया है कि 03 टन बालू लदे 1 ट्रैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
	100 घनफीट	01	01	00	अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 564/रा0, दिनांक 29/04/2023 द्वारा सूचित किया गया है कि 100 घनफीट बालू लदे 1 ट्रैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसका थाना काण्ड संख्या-38/23, दिनांक 29/04/2023 है।



100 घनफीट	01	01	00	अंचल अधिकारी, गोमिया क पत्रांक 912, दिनांक 25/07/2023 द्वारा सूचित किया गया है कि बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर रहावन ओपी0 में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
100 घनफीट	01	01	00	खान निरीक्षक द्वारा दिनांक 29/08/23 को 100 घनफीट अवैध बालू लदे 01 ट्रैक्टर को जप्त कर महुआटाँड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।
300 घनफीट	03	01	00	खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा 100-100 घनफीट बालू लदे 03 ट्रैक्टरों को जप्त कर दिनांक 15/12/2023 को महुआटाँड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।





⑧

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।
(खनन शाखा)

पत्रांक 675 / खनन

बोकारो

दिनांक 09/04/24

प्रेषक,

उपायुक्त,
बोकारो।

सेवा में,

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद,
धनबाद।

विषय :- मान्नीय NGT, Eastern Bench, Kolkata में वाद O.A. No.181/2023/EZ में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मान्नीय NGT, Eastern Bench, Kolkata में वाद O.A. No.181/2023/EZ में पारित आदेश के अनुपालन में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स द्वारा उक्त वाद से संबंधित मामले में बालू खनिज के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के विरुद्ध MMDR Act, 1957 and rules made thereunder तथा IPC के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, जिसकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त सूची के अनुसार Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 एवं The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय, ताकि उक्त वाद में मान्नीय NGT, Eastern Bench, Kolkata में इससे संबंधित प्रतिशपथ पत्र दायर किया जा सके।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन


[Signature]
उपायुक्त, बोकारो।



DISTRICT MINING OFFICE, BOKARO

Details of Sand Ghats - Category I

Sl. No.	Name of Sand Ghat	River	Block	Mouza	Khata No.	Plot No.	Area (Ha.)
1	Pindra_Tulbul_Sand Ghat	Bokaro	Gomia	Pindra		35, 16, 34, 753, 769, 1, 819	16.92
				Tulbul		819, 1	
2	Bokaro Steel City Sand Ghat	Damodar	Chas	Bokaro Steel City		308, 1, 45	10.31
3	Barkipunu Sand Ghat	Damodar	Gomia	Barkipunu		3678, 4033, 3677	14.96
4	Chakulya Sand Ghat	Ishri	Chas	Chakuliya	217	2446, 884	6.47
5	Khatka Sand Ghat	Garga	Chas	Katka	114	169	7.61
6	Sarjori_Harayak_Udwa_Sand Ghat	Ishri	Chandankiyari	Saharjori, Harayak, Udwa			8.6



DISTRICT MINING OFFICE, BOKARO

Details of Sand Ghats – Category II

Sl. No.	Name of Sand Ghat	River	Block	Mouza	Khata No.	Plot No.	Area (Ha.)
1	फिछरी 2	दामोदर नदी	पेटरवार	फिछरी 2	237	1	4.72
2	चलकरी	दामोदर नदी	पेटरवार	चलकरी	225	938	8.22
3	चलकरी	दामोदर नदी	पेटरवार	चलकरी	225	1474	42.00
4	खतको चलकरी	दामोदर नदी	पेटरवार	खतको चलकरी	120, 225	2470, 4149	32.03
5	होसिर डेन्डे	बोकारो नदी	पेटरवार	होसिर डेन्डे	111, 458, 11	609, 1451, 1550, 1452	42.00
6	होसिर	बोकारो नदी	गोभिया	होसिर	458	5381, 5567	42.00
7	चाँपी, खतको	दामोदर नदी	पेटरवार	चाँपी, खतको	86, 120	1, 689	52.40





झारखण्ड सरकार

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।
(खनन शाखा)

आदेश

राज्य अन्तर्गत बालू घाटों का संचालन The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। बोकारो जिलान्तर्गत बालू उत्खनन हेतु तैयार किये गये जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में उक्त पॉलिसी के अनुसार Category-I एवं Category-II बालू घाटों को वर्गीकृत किया गया है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) को अनुमोदन करते हुए उसकी सूचना सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 53, राँची, दिनांक 28.04.2023 से प्राप्त है। जिलान्तर्गत कुल 06 Category-I बालू घाटों का चयन Empanelled Agency द्वारा किया गया है, जिसकी सूची (अनुलग्नक-'क') संलग्न है।

संचालन

2. खान आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- खा0नि0(विविध)-169/2017/219/एम0, दिनांक 24.01.2018 (अनुलग्नक-'ख') द्वारा Category-I अन्तर्गत पड़ने वाले बालू घाटों का संचालन The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के कंडिका-03 के अनुसार ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत्त शासन द्वारा समिति द्वारा किये जाने का निर्देश दिया गया है, जिसके संचालन हेतु प्रखंड स्तरीय समिति में निम्नांकित सदस्य रहेंगे :-

- (1) संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी (अध्यक्ष),
- (2) संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी,
- (3) संबंधित अंचल निरीक्षक।

संबंधित अंचल अधिकारी को अपने क्षेत्रन्तर्गत पर्यवेक्षण हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी नामित किया जाता है, वे चयनित Category-I बालूघाटों का सीमांकन करने का कार्य करेंगे। उक्त कार्य हेतु आवश्यक सहयोग सहायक निदेशक, भूतत्व, बोकारो प्रदान करेंगी।

पंचायत स्तर पर बालू घाटों का संचालन हेतु गठित समिति में निम्नांकित सदस्य रहेंगे :-


- (1) मुखिया (अध्यक्ष)
- (2) उप मुखिया,
- (3) पंचायत सचिव,
- (4) पाँच सदस्यीय सदस्य शामिल रहेंगे।



क्रमांक 4 के सदस्य The Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 की धारा 71 के तहत गठित स्थायी समिति, सार्वजनिक सम्पदा समिति के तहत गिन्याशील रहेंगे।

शर्तें

3. बालू घाटों से उठाव किए गए बालू का उपयोग निजी, गैर व्यवसायिक, सामुदायिक उद्देश्य, सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए होगा। इन बालू घाटों में बालू के उठाव के लिए किराी भी परिस्थिति में मशीन, पोकलेन, जो0सी0वी0 आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा बालू के परिवहन के लिए ट्रैक्टर को छोड़कर किराी भी अन्य भारी वाहन, हाईवा, ट्रक आदि का उपयोग नहीं किया जायेगा। इन बालू घाटों से बालू का उठाव कर उसका भण्डारण नहीं किया जायेगा।
4. Category-I में पड़ने वाले बालूघाटों को तथापि Para 7-(1)-(B) of Part-II Section-3 Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette No. 125 of MoEF & CC, Government of India, New Delhi, dated- 15, January, 2016 (अनुलग्नक-‘ग’) के आलोक में पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने से छूट रहेगी, परन्तु ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत्त शासन की यह जबाबदेही होगी कि वह सिर्फ सीमांकित क्षेत्र (DSR के अनुसार) से ही बालू का उठाव करेंगे।
5. बालू घाटों से उठाये गये बालू किसी भी प्रकार के स्वामिस्व कर आदि से मुक्त होगा। बालू घाटों का पहुँचपथ, प्रबंधन, पर्यवेक्षण आदि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित संधारण राशि ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत्त शासन द्वारा लिया जायेगा, जो कि 100 रुपये प्रति 100 घनफीट की दर से सरकार द्वारा निर्धारित है। इस प्रकार एकत्र राशि का उपयोग संधारण, अंकेक्षण आदि The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के अनुसार किया जायेगा।
6. बालू प्राप्तकर्ता को एक प्राप्ति-सह-संचालन स्लिप ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत किया जायेगा, उक्त कार्य हेतु पंचायत स्तरीय समिति अपने किसी सदस्य को प्राधिकृत करेंगे एवं इस संदर्भ में संबंधित अंचल अधिकारी को पूर्व में ही सूचित करेंगे। “प्राप्ति-सह-परिचलन स्लिप” का तीन प्रतियों में संधारण किया जायेगा (अनुलग्नक-‘घ’ में संलग्न), जिसकी एक प्रति ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन के पास, एक प्रति बालू खनिज प्राप्तकर्ता के पास तथा एक प्रति प्राधिकृत पर्यवेक्षण (अंचल अधिकारी) के लिए होगा। प्राप्ति-सह-परिचलन स्लिप को तीन प्रतियों में क्रमांक संख्या (Sl. No) के साथ छपवाते हुए संबंधित पंचायत को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
7. बालू घाट से प्राप्त राजस्व का अलग से बैंक खाता खोलकर संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। बालू से प्राप्त होने वाली संधारण राशि कोष में जमा करने की जिम्मेवारी संबंधित पंचायत सचिव की होगी।



9. भीषणतम तमल में मागनीय NCT के आदेश व खान, खान एवं भूदात्व विभाग, झारखण्ड सरकार के निदेशानुसार प्रतिबंधित अवधि में निरसी भी परिस्थिति में बालू, घाटों से बालू का उठाव नहीं होगा। Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 के Appendix: Table- 9 के अनुसार प्रारम्भिक सतह के लिए मास अवधि प्रत्येक वर्ष 10 जून से 15 अक्टूबर तक है।
10. सभी संबंधित ग्राम पंचायत समिति के अध्याय 'The Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001' के धारा 01 एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत मास सुनिश्चित करायेंगे कि Category-I बालू, घाटों से बालू का अवैध उठाव न हो।
10. संबंधित पंचायत स्तर समिति उरखनित बालू की मात्रा, समाहरण की गई राशि की विवरणी इत्यादि का प्रतिवेदन (प्रतिमास) अगले गहीने की 10 वीं तारीख तक अंचल अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बोकारो एवं जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को अनुलग्नक-‘ब’ में संलग्न प्रपत्र में समर्पित करेंगे।
11. पंचायत स्तर समिति द्वारा बालू प्राप्ति हेतु आवेदनों का एक पंजी का संचारण किया जायेगा, जिसमें बालू उठाव से संबंधित विवरणी इद्रांज की जाएगी तथा उक्त पंजी में प्रविष्टि करने के पश्चात ही निरसी ट्रेक्टर को बालू उठाव हेतु घाट में जाने की अनुमति दी जाएगी। पंजी का नमूना अनुलग्नक-‘ब’ में संलग्न। बालू प्राप्ति हेतु आवेदक द्वारा आवेदन मुखिया/उपमुखिया या पंचायत सचिव को समर्पित किया जायेगा। यथा आवश्यक विशेषतः सरकारी योजनाओं में बालू की आवश्यकता से संबंधित बालू प्राप्ति हेतु आवेदन उक्त पंचायत स्तरीय समिति के अतिरिक्त संबंधित अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भी दिया जा सकेगा, जो कि आवश्यक कार्रवाई हेतु पंचायत स्तरीय समिति को अग्रसारित किया जा सकेगा।
12. इन बालू, घाटों से बालू का उठाव की अधिकतम गहराई स्थानीय परिस्थिति भौगोलिक संरचना के आधार पर पंचायत स्तर समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो 03 मीटर से अधिक नहीं होगा। बालू, घाटों पर एक समय पर अत्यधिक ट्रेक्टरों का जमावड़ा नहीं लगे इस संबंध में स्थानीय परिस्थिति भौगोलिक संरचना के आधार पर पंचायत स्तर समिति द्वारा संख्या निर्धारित की जाएगी, जो 10 से अधिक नहीं होगा।
13. प्रखण्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय समिति अपने क्षेत्रन्तर्गत Category-I बालू, घाटों का प्रचार-प्रसार करेंगे एवं उपयोगिता के संदर्भ में आमजनों को अवगत करायेंगे। प्रखण्ड स्तरीय समिति एवं पंचायत स्तरीय समिति सभी पंचायत भवनों में एवं अंचल व प्रखण्ड कार्यालय में Category-I बालू, घाट के विवरण को अतिरिक्त Wall painting करना सुनिश्चित करेंगे।
14. शक्ति (सुरोत्तर से सुरोत्तर तक) में संबंधित बालू, घाटों से बालू उठाव पर प्रतिबंध रहेगा।
16. संबंधित पंचायत स्तर समिति अपने Category-I बालू, घाट पर एक नामपट्ट निम्नलिखित सूचनाओं के साथ प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

1. Category-I बालू, घाट का नाम, अंचल, मौजा, खारा, प्लॉट एवं रकबा।



- ii ग्राम पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का नाम एवं मोबाईल नम्बर।
 iii अबतक फुल निष्काशित खनिजों का आयतन।
 iv पर्वेक्षण पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर।
16. उपरोक्त किन्हीं शर्तों का उल्लंघन होने पर संबंधित पंचायत स्तरीय समिति एवं संबंधित मुखिया की जबाबदेही तय करते हुए प्रभावी अधिनियम/नियम के अन्तर्गत सक्षम पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकेंगी।
17. Category-I बालू घाटों में समय-समय पर खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अन्य कोई विभाग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत, माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची, एवं मननीय NGT द्वारा बालू घाटों के संचालन के संदर्भ में निर्गत आदेश स्वतः लागू होंगे।
18. Category-I बालू घाटों का संचालन हेतु The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के सभी शर्तें लागू होंगे, जो निम्न प्रकार है:-

3. Management of Sand Deposits of Category-1 Streams/Rivers:

- a. The sand deposits of Category-1 stream/rivers will be kept fully free from domain of grant of mining lease.
- b. The sand from this category can be used only for non-commercial purposes such as domestic purpose, Community purposes, Government Sponsored Schemes etc. or as defined in Appendix - IX of Part-II-Section-3-Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India New Delhi dated 15 January, 2016.
- c. Gram Panchayat/Local Self Government shall be responsible for supervision of sand collection from such area.
- d. There shall be no transfer or subletting of the sand deposits from these Streams/Rivers.
- e. The sand from these Streams/Rivers shall be free from any taxes, royalty or levy.
- f. For the purpose of maintenance of the approach road, management, supervision etc. a nominal Maintenance Charge shall be levied by Gram Panchayat/Local Self Government per unit volume of sand lifted/collected/dispatched, as per the rate decided by Department of Industries, Mines and Geology, Government of Jharkhand.
- g. It shall be responsibility of Gram Panchayat/Local Self Government to ensure that sand from these deposits is not used for any commercial purposes and to



- regulate the same, a receipt-cumdispatch challan will be issued by the Gram Panchayat/Local Self Government in the format as prescribed by the State.
- h. The maintenance charge so collected shall be deposited in the account of Gram Panchayat/Local Self Government.
- i. The book keeping of this account shall be maintained by Gram Panchayat/Local Self Government according to prevailing rules and guidelines of the Gram Panchayat/Local Self Government.
- j. Under no circumstances the sand shall be allowed to be stored from these Streams/Rivers.
- k. As mentioned in para 7-(i)-(B) of Part-II-Section-3-Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India, New Delhi dated 15 January, 2016 such usage of sand shall be exempted from environmental clearance.
- l. This shall be the responsibility of the Gram Panchayat/Local Self-Government to restrict sand mining in prohibited areas as directed by the Department.
- m. Under no circumstances mechanized lifting of sand shall be allowed from these category of streams/rivers.
- n. The Deputy Commissioner shall put in place proper administrative/enforcement mechanism to ensure no commercial/illegal extraction of sand from these orders of streams/rivers.
19. उपरोक्त शर्तों में संशोधन एवं किसी अन्य शर्तों को लगाये जाने का विशेष-अधिकार तथा किसी भी मामलें में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उपायुक्त, बोकारो का रहेगा।
उपरोक्त शर्तों के आधार पर जिलान्तर्गत Category-I बालू घाटों से निजी, गैर व्यवसायिक, सामुदायिक उद्देश्य, सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए बालू के उठाव पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।


09.5.23
उपायुक्त, बोकारो।

ज्ञापांक- 961, दिनांक- 16/05/2023

- प्रतिलिपि :-
1. सभी संबंधित मुखिया/पंचायत सचिव, जिला-बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 2. सभी संबंधित प्रखंड समन्वयक, पंचायत स्वशासन परिषद, बोकारो जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



3. सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी संबंधित अंचलाधिकारी, बोकारो जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सहायक निदेशक, भूतत्व, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित ग्राम पंचायत समिति को "प्राप्ति-सह-परिचलन स्लिप" को तीन प्रति (triplicate) में आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।




09.5.23
उपायुक्त, बोकारो।

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी का कार्यालय, बोकारो

(गोपनीय शाखा)

—:आदेश:—

बोकारो जिला अन्तर्गत अवैध खनिज के परिवहन के रोकथाम हेतु तेलमोचो वृज, विरसा पुल, चन्द्रपुरा, बरमसिया, नावाडीह, पेटरवार तथा चंदनकियारी में चेक नाका स्थापित करते हुए चक्रानुसार अगले आदेश तक निम्नवत दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-

तेलमच्यो पुल चेकनाका

क्र०सं०	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप० 02:00 बजे तक	अप० 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री नरेन्द्र नाथ शुक्ला, कनीय अभियंता, चास। मो०-9430312177	श्री विश्वास कुमार महतो, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7870425547	श्री चंदन कुमार, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो०-7858991461
2	मंगलवार	श्री अभय कुमार, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9835367716	श्री आशीष कुमार, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9334002379	श्री शैलेन्द्र कुमार महतो, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो०-7004416389
3	बुधवार	श्री जितेन्द्र कुमार साहु, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चास। मो०-9009796696	श्री दीपक कुमार, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7903584230	श्री राजेश कुमार गुप्ता, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7903695730
4	गुरुवार	श्री चंदन कुमार, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो०-7858991461	श्री शैलेन्द्र कुमार महतो, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो०-7004416389	श्री सत्येन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, बोकारो। मो०-7004557850
5	शुक्रवार	श्री राजेश कुमार गुप्ता, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7903695730	श्री नरेन्द्र नाथ शुक्ला, कनीय अभियंता, चास। मो०-9430312177	श्री विश्वास कुमार महतो, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7870425547
6	शनिवार	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, चास। मो०-9525928922	श्री अभय कुमार, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9835367716	श्री आशीष कुमार, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9334002379



7	रविवार	श्री सत्येन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, बोकारो। मो०-7004557850	श्री जितेन्द्र कुमार साहु, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चास। मो०-9009796696	श्री दीपक कुमार; कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7903584230
मिर्धा (पिड्डाजोरा) चेकनाका				
क्र०सं०	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप० 02:00 बजे तक	अप० 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री कौशिक कात्यायन, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9430497825	श्री विशाल कुमार, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, बोकारो। मो०-8969911010	श्री उमेश प्रसाद रेवानी, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, चास। मो०-9334943548
2	मंगलवार	श्री नौशाद आलम, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चास। मो०-9798910572	श्री संधीर कुमार, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, चास। मो०-7250846206	श्री राम कुमार, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो० 6201425717
3	बुधवार	श्री चितरंजन कुमार सिंह, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-8770139265	श्री आजाद कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, बोकारो। मो०-9693307882	श्री सरोज मेहता, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रशाखा चास, बोकारो। मो०-8210550371
4	गुरुवार	श्री राम कुमार, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो० 6201425717	श्री विरेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, बोकारो। मो०-8434512125	श्री मनोज कुमार मिश्रा, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, बोकारो। मो०-9431169092
5	शुक्रवार	श्री उमेश प्रसाद रेवानी, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, चास। मो०-9334943548	श्री कौशिक कात्यायन, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9430497825	श्री विशाल कुमार, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, बोकारो। मो०-8969911010
	शनिवार	श्री सरोज मेहता, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रशाखा चास, बोकारो। मो०-8210550371	श्री नौशाद आलम, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चास। मो०-9798910572	श्री संधीर कुमार, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, चास। मो०-7250846206



7	रविवार	श्री विरेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, बोकारो। मो0-8434512125	श्री चितरंजन कुमार सिंह, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-8770139265	श्री आजाद कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, बोकारो। मो0-9693307882
बिरसा पुल (चंदनकियारी) चेकनाका				
क्र0सं0	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप0 02:00 बजे तक	अप0 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री मेघलाल महतो, कनीय अभियंता, चन्दनकियारी। मो0-9931621129	श्री भुवनेश्वर महतो, बी0पी0ओ0, चन्दनकियारी, मो0-7766031164	श्री सुरज कुमार, सहायक अभि0 (मनरेगा), चन्दनकियारी। मो0-8651953265
2	मंगलवार	श्री अशोक सिंह चौधरी, कनीय अभियंता, (मनरेगा) चन्दनकियारी। मो0-8789661604	डॉ सुमन कुमार, भ्र0पशु चि0पदा0, बरमसिया। मो0-947118422	श्री प्रमोद कुमार, बी0पी0ओ (मनरेगा), चंदनकियारी। मो0-8789369125
3	बुधवार	श्री राकेश कुमार, कनीय अभियंता, (15वें वित्त) चन्दनकियारी। मो0-9122703906	डॉ0 अमित कुमार अमित, भ्र0 पशु चिकित्सा पदा0, चन्दनकियारी। मो0-8986764934	श्री संदीप कुमार, I/C. BTM, चन्दनकियारी। मो0-8102887808
4	गुरुवार	श्री जितेन्द्र कुमार यादव, कनीय अभियंता, (15वें वित्त) चन्दनकियारी। मो0-7992318486	श्री मेघलाल महतो, कनीय अभियंता, चन्दनकियारी। मो0-9931621129	श्री जय प्रकाश यादव, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, चन्दनकियारी। मो0- 7870107603
5	शुक्रवार	श्री सुरज कुमार, सहायक अभि0 (मनरेगा), चन्दनकियारी। मो0-8651953265	श्री अशोक सिंह चौधरी, कनीय अभियंता, (मनरेगा) चन्दनकियारी। मो0-8789661604	श्री भुवनेश्वर महतो, बी0पी0ओ0, चन्दनकियारी, मो0-7766031164
6	शनिवार	श्री प्रमोद कुमार, बी0पी0ओ (मनरेगा), चंदनकियारी। मो0-8789369125	श्री संदीप कुमार, I/C, BTM, चन्दनकियारी। मो0-8102887808	डॉ सुमन कुमार, भ्र0पशु चि0पदा0, बरमसिया। मो0-947118422



7	रविवार	श्री जय प्रकाश यादव, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, चन्दनकियारी। मो0- 7870107603	श्री राकेश कुमार, कनीय अभियंता, (15वें वित्त) चन्दनकियारी। मो0-9122703906	डॉ0 अमित कुमार अमित, भ्र0 पशु चिकित्सा पदा0, चन्दनकियारी। मो0-8986764934
चंदनकियारी बंगाल सीमा पेट्रोल पम्प के पास चेकनाका				
क्र0सं0	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप0 02:00 बजे तक	अप0 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री मनीराम मुण्डा, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-6200697098	श्री मुकेश कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7761926968	श्री स्वर्णजीत कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7979756026
2	मंगलवार	श्री राम सुंदर दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8340587740	श्री ब्रजेश कुमार राय, प्रति0 कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-8210726634	श्री चन्दन कुमार, प्रति0 कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-7858991451
3	बुधवार	श्री दीपक कुजुर, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8987587527	श्री कपिश्वर सिंह, CLTC Municipal Finance, चास नगर निगम, चास। मो0-9905829229	श्री विशाल कुमार, अनुप गुंजन टोप्पो, नगर प्रबंधक, चास नगर निगम, चास। मो0-808456064
4	गुरुवार	श्री स्वर्णजीत कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7979756026	श्री अमन मल्लिक, शहरी संरचना विशेषज्ञ, चास नगर निगम, चास। मो0-7987858134	श्री पवन पाण्डेय, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-7488003934
5	शुक्रवार	श्री चन्दन कुमार, प्रति0 कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-7858991451	श्री मनीराम मुण्डा, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-6200697098	श्री मुकेश कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7761926968
6	शनिवार	श्री विशाल कुमार, अनुप गुंजन टोप्पो, नगर प्रबंधक, चास नगर निगम, चास। मो0-808456064	श्री राम सुंदर दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8340587740	श्री ब्रजेश कुमार राय, प्रति0 कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-8210726634



7	रविवार	श्री पवन पाण्डेय, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-7488003934	श्री दीपक कुजुर, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8987587527	श्री कपिश्वर सिंह, CLTC Municipal Finance, चास नगर निगम, चास। मो0-9905829229
बरमसिया (चंदनकियारी) चेकनाका				
क्र0सं0	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप0 02:00 बजे तक	अप0 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री अजीत कुमार भट्ट, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, बोकारो। मो0-9162912205	श्री श्यामाप्रसाद चन्द्र, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, बोकारो। मो0-9749432917	श्री गणेश कुमार दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8709873900
2	मंगलवार	श्री अमरजीत कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-9210718088	श्री कमल किशोर, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8969496607	श्री शैलेन्द्र कुमार महतो, प्रति0 कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-9798172009
3	बुधवार	श्री हरिन्द्र कुमार पाठक, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7004367596	श्री शंभु लाल, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8210923769	श्री अविक् अंबाला, सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चास। मो0-7544099310
4	गुरुवार	श्री गणेश कुमार दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8709873900	श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-7004894267	श्री राहुल कुमार, CLTC, चास नगर निगम, चास। मो0-6201232304
5	शुक्रवार	श्री शैलेन्द्र कुमार महतो, प्रति0 कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-9798172009	श्री अजीत कुमार भट्ट, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, बोकारो। मो0-9162912205	श्री श्यामाप्रसाद चन्द्र, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, बोकारो। मो0-9749432917
6	शनिवार	श्री राहुल कुमार, CLTC, चास नगर निगम, चास। मो0-6201232304	श्री अमरजीत कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-9210718088	श्री कमल किशोर, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8969496607



7	रविवार	श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-7004894267	श्री हरिन्द्र कुमार पाठक, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7004367596	श्री शंभु लाल, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8210923769
चन्द्रपुरा चेकनाका				
क्र0सं0	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप0 02:00 बजे तक	अप0 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री कैलाश मराण्डी, प्र0 शिक्षा प्र0 पदाधिकारी, चन्द्रपुरा। मो0-7250056933	श्री राकेश कुमार महतो, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चन्द्रपुरा। मो0-7053343728	श्री राजकिशोर हाँसदा, कनीय अभियंता, मनरेगा, चन्द्रपुरा मा0-9852425897
2	मंगलवार	श्री प्रमोद कुमार ठाकुर, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, चन्द्रपुरा। मो0-7654828624	श्री विश्वनाथ रजक, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चन्द्रपुरा। मो0-8210481519	श्री रामसुन्दर दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास, चन्द्रपुरा मो-8340587740
3	बुधवार	श्री सत्येन्द्र नारायण, भ्र0पशु चि0पदा0, चन्द्रपुरा। मो0-9934435365	श्री पप्पु कुमार बाउरी, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-8210255260	श्री बबलू सिंह, प्र0 कृषि तकनिकि पदाधिकारी, चन्द्रपुरा। मो-9308730583
4	गुरुवार	श्री परमेश्वर महतो, कनीय अभियंता, मनरेगा, चन्द्रपुरा मो0-8298161054	श्री शक्ति रविदास, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-9608385803	श्री विश्वनाथ रजक, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चन्द्रपुरा। मो0-8210481519
5	शुक्रवार	श्री राजकिशोर हाँसदा, कनीय अभियंता, मनरेगा, चन्द्रपुरा मा0-9852425897	श्री कैलाश मराण्डी, प्र0 शिक्षा प्र0 पदाधिकारी, चन्द्रपुरा। मो0-7250056933	श्री राकेश कुमार महतो, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चन्द्रपुरा। मो0-7053343728
6	शनिवार	श्री रामसुन्दर दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास, चन्द्रपुरा मो-8340587740	श्री प्रमोद कुमार ठाकुर, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, चन्द्रपुरा। मो0-7654828624	श्री शक्ति रविदास, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-9608385803



7	रविवार	श्री पप्पु कुमार बाउरी, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-8210255260	श्री बबलू सिंह, प्र0 कृषि तकनिकि पदाधिकारी, चन्द्रपुरा। मो- 9308730583	श्री सत्येन्द्र नारायण, प्र0 पशु चि0 पदा0, चन्द्रपुरा। मो0-9934435365
नावाडीह चेकनाका				
क्र0सं0	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप0 02:00 बजे तक	अप0 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री सत्येन्द्र साह, प्र0सां0 पर्यवेक्षक, नावाडीह। मो0-6200937506	श्री आशीष रंजन, प्र0 कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, नावाडीह। मो0-9430752205	श्री नवीन कुमार कुल्लू, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, नावाडीह। मो0-6205396196
2	मंगलवार	श्री कमाल अख्तर, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-9708528265	श्री राजीव रंजन, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-9608631113	श्री विश्वनाथ महतो, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-7079375702
3	बुधवार	श्री वरुण कुमार मिश्रा, कनीय अभियंता (15 वें वित्त), नावाडीह। मो0-9031894607	श्री संजय कुमार, कनीय अभियंता (15 वें वित्त), नावाडीह। मो0-7479414181	श्री सुबोध कु0 प्रजापति, प्र0 समन्वयक (पं0रा0), नावाडीह। मो0-9006970645
4	गुरुवार	मो0 अहमद रजा खान, प्र0 समन्वयक (PMAY- G), नावाडीह। मो0-9334269640	श्री कमलेश कुमार, प्र0 समन्वयक (SBM), नावाडीह। मो0-9905716590	मो0 आकिब अहमद, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, नावाडीह। मो0-9430333916
5	शुक्रवार	श्री रामजीवन पासवान, कनीय अभियंता, पथ प्रशाखा, नावाडीह, पथ अवर प्रमण्डल, बेरमो। मो0-8227999363	श्री विनोद प्रसाद मोदी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, नावाडीह (चंदनकियारी प्रखण्ड के प्रभार में) मो0-9955190174	कुमार वेंकटेश, बी0पी0ओ0, नावाडीह, मो0-9431745004
6	शनिवार	श्री मोति लाल, BTM, नावाडीह। मो0-9576242135	श्री कमाल अख्तर, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-9708528265	श्री राजीव रंजन, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-9608631113



7	रविवार	श्री विश्वनाथ महतो, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-7079375702	श्री वरुण कुमार मिश्रा, कनीय अभियंता (15 वें वित्त), नावाडीह। मो0-9031894607	श्री संजय कुमार, कनीय अभियंता (15 वें वित्त), नावाडीह। मो0-7479414181
पेटरवार चेकनाका				
क्र०सं०	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप० 02:00 बजे तक	अप० 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री धर्मरक्षित विद्यार्थी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, पेटरवार। मो0- 9431326476	श्री कृष्ण चन्द्र दोराई बुरु, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, पेटरवार। मो0- 8809410416	श्री शहदेव कर्मकार, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पेटरवार। मो0-9798968422
2	मंगलवार	मो0 कुरबान अली, कनीय अभियंता (15वें वित्त), पेटरवार। मो0- 8002534384	श्री लखिन्द्र कुमार, कनीय अभियंता (15वें वित्त), पेटरवार। मो0- 8969922808	श्री राम कुमार, कनीय अभियंता, पेटरवार। मो0- 6201425717
3	बुधवार	मो0 इकबाल, कनीय अभियंता, मनरेगा, पेटरवार। मो0-9546997997	श्री लुटबरण महतो (BTM), पेटरवार। मो0-8228945453	श्री शास्त्री साह, सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल, पेटरवार। मो0-9430308778
4	गुरुवार	श्री धनन्जय कुमार सिंह, प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-9304633620	श्री अरुण कुमार, सहायक अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, पेटरवार, मो0 8080310040	श्री सुधीर कुमार मांडी, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, पेटरवार, मो0-8709890986
5	शुक्रवार	श्री देवांशुमान कुमार, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, पेटवार मो0-9123260082	श्री सुधीर कुमार दास, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, पेटरवार, मो0-7654644556	श्री अनिल लकड़ा, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-6207832702
6	शनिवार	श्री प्रमोद कुमार सिंह, कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, धनबाद। मो0-9431386592	श्री जियाउद्दीन, कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, धनबाद। मो0-9939361080	श्री अजीत कुमार, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-9123233475



7	रविवार	श्री विष्णु कुमार खानी, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-9304674102	मो0 फिरोज, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-7277608538	श्री मनोज कुमार वेदिया, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-7250223691
---	--------	--	---	---

- सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब अपना योगदान जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को देते हुए अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निर्धारित दिवस एवं समय पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी चेक नाका पर खनिज लदे वाहनों की जाँच करेंगे। साथ ही वाहनों में लदे खनिज से संबंधित परिवहन चालान आदि नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। साथ ही यदि परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन का मामला आता है तो आवश्यक कार्रवाई हेतु इसकी सूचना तुरंत जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो को या उनके कार्यालय में देते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे।
- यदि प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल के द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जाने पर संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी निम्नलिखित प्रपत्र में खनिज लदे वाहनों की जाँच से संबंधित प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को उपलब्ध करायेंगे।

विहित प्रपत्र						
प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का नाम :-						
तिथि एवं समय :-						
क्र०सं०	वाहन संख्या	परिवहन चालान वाहन में पाया गया या नहीं	चालान संख्या	चालान वैध है या नहीं। (समय/मात्रा/प्रकार इत्यादि)	खनिज का प्रकार	अभ्युक्ति

- जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित कर प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे :-


विहित प्रपत्र							
क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वाहन संख्या	चालान संख्या	चालान वैध है या नहीं। (समय/मात्रा/प्रकार इत्यादि)	खनिज का प्रकार	कृत कार्रवाई	अभ्युक्ति

- चेक नाका में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों के द्वारा किये जा रहे कार्यों के सतत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु निम्नवत वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-



क्र०सं०	चेक नाका का नाम	वरीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	तेलमच्चो ब्रिज चेकनाका	1. श्रीमती कीर्तिश्री जी, उप विकास आयुक्त, बोकारो। मो०- 6396085524 2. श्री मिथिलेश कुमार चौधरी, प्रखण्ड विकास पदा०, चास, मो०- 9430345685
2	मिर्धा (पिड्डाजोरा) चेकनाका	1. श्री सादात अनवर, अपर समाहर्ता, बोकारो। मो०- 7808228228 / 9431130478 2. श्री दिलीप कुमार, अंचल अधिकारी, चास। मो०-7463083045
3	बिरसा पुल (चंदनकियारी) चेकनाका	1. श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, अनुमंडल पदाधिकारी, चास। मो०-9431126791 2. श्री रामा रविदास, अंचल अधिकारी, चंदनकियारी, मो०- 9572705080
4	चंदनकियारी बंगाल सीमा पेट्रोल पम्प के पास चेकनाका	1. श्री अनिल कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम, चास। मो०- 8210203023 2. श्री अजय कुमार वर्मा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदनकियारी। मो०- 9572118994
5	बरमसिया (चंदनकियारी) चेकनाका	1. श्रीमती मनीषा वत्स, कार्यपालक दंडाधिकारी, बोकारो, मो०- 9162647069 2. श्रीमती सत्यबाला सिन्हा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो। मो०-8709895476
6	चन्द्रपुरा चेकनाका	1. श्री सत्येन्द्र नारायण पासवान, कार्यपालक दंडाधिकारी, तेनुघाट। मो०- 9142735905 2. श्री संदीप कुमार मद्देशिया, अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा, मो०-8294880301 3. श्रीमती रेणुबाला, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्द्रपुरा। मो०-8789015183
7	नावाडीह चेकनाका	1. श्री अनंत कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट)। मो० 9631101825 2. श्री अशोक कुमार सिन्हा, अंचल अधिकारी, नावाडीह , मो०-8210027037 3. श्री संजय शांडिल्य, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह, मो०-9431503441
8	पेटरवार चेकनाका	1. श्रीमती छविवाला बारला, कार्यपालक दंडाधिकारी, बोकारो। मो०- 8292603450 2. श्री ब्रजेश श्रीवास्तव अंचल अधिकारी, पेटरवार, मो०- 8789566643 3. श्री शैलेन्द्र कुमार चौरसिया, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पेटरवार। मो०- 7979853424

सभी प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि संबंधित चेक नाका का औचक निरीक्षण कर चेक नाका में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।



- जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो खनन निरीक्षक, बोकारो भी निर्धारित चेक नाका का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।
- पुलिस अधीक्षक, बोकारो खनिज लदे वाहनों की जाँच हेतु सभी चेक नाका पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों के साथ 24x7 पुलिस पदाधिकारियों एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

हृ—
उपायुक्त, बोकारो।

ज्ञापांक 1668/गो०,

दिनांक 31.05.2022

प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, बोकारो/उप विकास आयुक्त, बोकारो/अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम, चास/अपर समाहर्ता, बोकारो/अनुमंडल पदाधिकारी, चास/वेरमो (तेनुघाट)/जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो/जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो/श्रीमती मनीषा वत्स, कार्यपालक दंडाधिकारी, बोकारो/श्रीमती छविवाला बारला, कार्यपालक दंडाधिकारी, बोकारो/श्री सत्येन्द्र नारायण पासवान, कार्यपालक दंडाधिकारी, तेनुघाट/खनन निरीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


31/5/2022
उपायुक्त, बोकारो।

